भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या **– 3485**

सोमवार, ***11*** अगस्त, ***2025/20*** श्रावण, ***1947 (***शक***)***

तेलंगाना को लंबित बकाया राशि की प्रतिपूर्ति

3485. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी**:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(1) क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने ब्याज सहित देय प्रतिपूर्ति की राशि 408.49 करोड़ रुपये की शीघ्र प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध किया है; और

(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री **(**श्री पंकज चौधरी**)**

(क**)** और **(**ख**)** जी हाँ, तेलंगाना सरकार ने उच्च न्यायालय, राजभवन और दोनों राज्यों की सेवा करने वाले अन्य सामान्य संस्थानों जैसे संवैधानिक और सांविधिक निकायों पर किए गए व्यय के संबंध में दिनांक 05.07.2022 के पत्र संख्या 6/आईएसटी सेल/वित्त/2022 के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार से 408.48 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया है। दिनांक 03.02.2025 को आयोजित एक बैठक में, दोनों राज्य सरकारों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रधान महालेखाकारों (एजी) के साथ सामान्य संस्थानों पर किए गए व्यय का मिलान करने का अनुरोध किया गया था।

केंद्रीय गृह सचिव ने भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एजी द्वारा दोनों राज्यों के बीच लेखाओं को अंतिम रूप देने में सुविधा प्रदान करने के लिए सामान्य संस्थानों पर व्यय के मिलान में तेजी लाने के लिए दिनांक 25.06.2025 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) को पत्र लिखा है।

*****